बायोटेक्नोलॉजी विभाग

भारत सरकार

डीबीटी-बीआईआरएसी अमृत टीम अनुदान के लिए दिशानिर्देश (अक्टूबर, 2024)

1. **पृष्ठभूमि और उद्देश्य**: डीबीटी-बीआईआरएसी अमृत टीम अनुदान माननीय प्रधानमंत्री के "जय अनुसंधान" आह्वान के अनुरूप एक नई पहल/कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य नए और अभिनव सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन करना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा और भारत को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार के रूप में आगे बढ़ाएगा।

2. **मुख्य विशेषताएं**: इस पहल के तहत, महत्वाकांक्षी शोध विचारों, उच्च जोखिम, ज्ञान आधारित खोजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अनुसंधान और अकादमिक, निदान और स्टार्ट-अप को शामिल करने वाले अंतःविषयी प्रयासों को चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए समर्थन दिया जाएगा जो मात्र के प्रयोगशाला के दायरे के बाहर है। स्पिन आउट और निवेशशीलता सृजन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन प्रयासों के परिणामों से जैव अर्थव्यवस्था में प्रगति, सिलोस (विभाजन) के समाप्त होने और सामाजिक जरूरतों के लिए ज्ञान आधारित समाधान प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।

   स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पादप, पशु जैव प्रौद्योगिकी और जैव विनिर्माण सहित जैव प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। प्रासंगिकता, जोखिम, परिवर्तनकारी प्रभाव और वैज्ञानिक महत्व की प्रगति के लिए आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उत्कृष्ट विज्ञान को बढ़ावा देना, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना है।

3. **क्षेत्र**

   - ज्ञान की बाधाओं को लक्षित करना
   - अनुसंधान की सिलोस (विभाजन) को समाप्त करना और उद्योग तथा स्टार्ट-अप को शामिल करते हुए बहु-संगठनात्मक सहयोग को बढ़ावा देना

- सामाजिक जुड़ाव: आज की समस्याओं के समाधान का पता लगाना और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए ज्ञान का सृजन करना
- जैविक प्रक्रियाओं की गहन यांत्रिक समझ प्रदान करना।
- किसी सामान्य जैविक समस्या को समझने के लिए प्रणालियों में जांच को प्रोत्साहित करना
- नए उभरते वैज्ञानिक विषयों के साथ शास्त्रीय दृष्टिकोणों को एकीकृत करना

वे क्षेत्र जो इस कार्यक्रम के दायरे में नहीं होंगे –

- रोग महामारी विज्ञान;
- नए नैदानिक समूहों/बायोबैंक का निर्माण
- नैदानिक/दवा परीक्षण;
- स्टैंड-अलोन इन सिलिको दृष्टिकोण;
- मौजूदा प्रौद्योगिकियों में सुधार;
- प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/क्षमता निर्माण प्रयास;
- केवल बुनियादी ढाँचा सुविधाओं का निर्माण।

4. आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता मानदंड

- **पात्र संगठन: सहायता प्राप्त करने के इच्छुक संगठन को:**

क. वह भारत में पंजीकृत सार्वजनिक अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय या निजी अनुसंधान या शैक्षणिक विश्वविद्यालय/संस्थान या सोसायटी/ट्रस्ट/एनजीओ/फाउंडेशन/स्वैच्छिक संगठन या स्टार्ट-अप हो और भारतीय कानून के अनुसार कानूनी इकाई हो।

ख. किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो।

ग. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तक उक्त संगठन पिछले 5 वर्षों में बीआईआरएसी के साथ या उसके द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध को पूरा होने से पहले से बाहर न निकला हो या उसकी भागीदारी समाप्त न की गई हो।

घ. डाटा संरक्षण, गोपनीयता और आपसी हितों के टकराव पर डीबीटी और बीआईआरएसी की नीतियों का अनुपालन करना होगा।

- निजी अनुसंधान या शैक्षिक विश्वविद्यालय/संस्थान, और सोसायटी /ट्रस्ट/एनजीओ/फाउंडेशन/स्वैच्छिक संगठन –

(i) उक्त संस्था के पास सामाजिक-आर्थिक या वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियों में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए; और अनुसंधान को अनिवार्य कार्यों में से एक के रूप में अपनाना चाहिए।

(ii) प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- नीति आयोग के 'एनजीओ दर्पण' (http://ngodarpan.gov.in/) में पंजीकरण का प्रमाण,
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र,
- संगठन का एसोसिएशन का ज्ञापन,
- संगठन के एसोसिएशन के लेख,
- संगठन के उपनियम
- वैध डीएसआईआर-एसआईआरओ प्रमाण पत्र/डीएसआईआर इनहाउस आरएंडडी मान्यता प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो)
- लगातार पिछले तीन वर्षों के लिए विधिवत खाता विवरण की लेखा परीक्षा

- आवेदन में एक प्रमुख अन्वेषक/समन्वयक होना चाहिए, तथा 2 वर्ष की अवधि में प्राप्त किए जा सकने वाले सुस्पष्ट लक्ष्य का उल्लेख होना चाहिए, जिन्हें प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है (अर्थात् परियोजना की अधिकतम अवधि किसी भी मामले में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **टीमों में कम से कम तीन मेजबान संगठनों/एक ही संगठन के तीन अलग-अलग विभागों (बड़े संगठनों के लिए)** के अन्वेषक शामिल होने चाहिए, जिसमें सभी भाग लेने वाले संगठन लक्षित शोध समस्या में सीधे योगदान दें। टीमों में एक अकादमिक प्रयोगशाला के साथ एक या अधिक स्टार्ट-अप शामिल हो सकते हैं।
- महिला वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- आवेदन समन्वयक पीआई द्वारा सभी सहभागी संगठनों के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ ही डीबीटी ई-प्रोमिस पोर्टल- http://dbtepromis.nic.in (अकादमिक-अकादमिक सहयोग) और बीआईआरएसी पोर्टल (अकादमिक-स्टार्ट-अप सहयोग) के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। आमंत्रण की अंतिम तारीख

के बाद या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

- शुरुआती और मध्य-करियर शोधकर्ताओं (शुरुआती करियर शोधकर्ताओं की परिभाषा स्वतंत्र प्रयोगशाला स्थापित करने के 3-7 साल के भीतर है, मध्य-करियर शोधकर्ताओं की परिभाषा स्वतंत्र प्रयोगशाला स्थापित करने के 7-15 साल के बीच है) की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए, डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी प्रोग्राम, रामलिंगास्वामी फेलो और रामानुजन फेलो का लाभ उठाने वाले शोधकर्ताओं को शुरुआती करियर शोधकर्ता माना जाएगा।
- एक शोधकर्ता एक समय में केवल एक ही प्रस्ताव में भाग ले सकता है।
- एक संगठन एक से अधिक आवेदन अग्रेषित कर सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक आवेदन का वैज्ञानिक लक्ष्य अलग हो। मेजबान संगठन को प्रासंगिक वैधानिक आवश्यकताओं/मानदंडों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करने सहित परियोजना को लागू करने की समग्र जिम्मेदारी लेनी होगी।
- किसी भी संगठन/बड़े संगठन का कोई एक विभाग प्रदान किए गए अनुदान के लिए कुल वित्त पोषित राशि का 40% से अधिक प्राप्त नहीं करेगा।

5. **वित्तपोषण प्रणाली**: इस कार्यक्रम के तहत चयन की गई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी बायो-राइड योजना के तहत दी जाएगी। केवल अकादमिक भागीदारों वाली परियोजनाओं को डीबीटी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। शिक्षाविदों और स्टार्ट-अप से जुड़ी परियोजनाओं को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) द्वारा समर्थन दिया जाएगा, जो डीबीटी का एक सार्वजनिक उपक्रम है।

5 क. अकादमिक संगठन को अनुदान सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। किसी प्रस्ताव के लिए अधिकतम बजटीय सीमा **2** वर्षों के लिए **₹10** करोड़ होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर **5** वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। निजी विश्वविद्यालयों/एनजीओ/ट्रस्ट/फाउंडेशन आदि को पूंजी निवेश लागत का **25%** हिस्सा साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

5 ख. स्टार्टअप्स को अनुदान सहायता (किसी अन्य बीआईआरएसी अनुदान के तहत अनुदान सहायता सहित) के माध्यम से केवल **50** लाख रुपये तक का वित्तपोषण किया जाएगा।

6. **चयन प्रक्रिया:**
   - डीबीटी और बीआईआरएसी वेबसाइट पर घोषित राष्ट्रीय आमंत्रण के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।
   - स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सबसे पहले सभी प्रस्तावों का वैज्ञानिक और तकनीकी योग्यता के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चुने गए प्रस्तावों को ही चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो चयनित प्रस्तावों के वित्त पोषण के लिए अपनी अनुशंसा करेगी। स्क्रीनिंग और चयन समितियों का गठन डीबीटी और बीआईआरएसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
   - प्रस्तावों को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार किए जाने से पहले संबंधित विषय क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विशेषज्ञ समीक्षा के लिए भी भेजा जा सकता है।
   - डीबीटी अपने मानक मानदंडों के अनुसार वित्त पोषण और प्रक्रियाओं की मंजूरी के निर्धारण पर विवेकाधिकार सुरक्षित रखेगा और ऐसा निर्धारण अंतिम होगा।

7. **निगरानी:** चयन समिति द्वारा वित्त पोषण के लिए चयनित परियोजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा उक्त अवार्ड के एक वर्ष बाद की जाएगी ताकि शेष अवधि के लिए निरंतर समर्थन दिया जा सके। यदि आवश्यक हो तो चयन समिति परियोजनाओं की ऑनसाइट/अंतरिम निगरानी के लिए छोटी 'परियोजना निगरानी समिति' का गठन भी कर सकती है।

8. **परियोजना की अवधि के दौरान सृजित बौद्धिक संपदा का क्षेत्र:** बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार बायोटेक्नोलॉजी विभाग की आईपी नीति के अनुसार होंगे (https://dbtindia.gov.in/regulations-guidelines/guidelines/dbt-ip-guidelines-2023)

9. **डीबीटी/बीआईआरएसी समर्थन की स्वीकृति:** वित्तपोषित आवेदक परिणामी उत्पाद के प्रकाशन, विपणन या किसी भी तरीके से परियोजना, इसकी प्रगति या इसकी सफलता का विवरण प्रस्तुत करते समय डीबीटी/बीआईआरएसी की सहायता के लिए विधिवत आभार व्यक्त करेंगे।

डीबीटी-बीआईआरएसी अमृत टीम अनुदान आवेदन प्रपत्र

आवेदन में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

1. शीर्षक
2. अन्वेषणकर्ताओं के नाम, संस्थागत संबद्धता और पते, ईमेल
3. सहयोगी (यदि कोई हो) का नाम, संस्थागत संबद्धता और ईमेल
4. विस्तृत शोध योजना, जिसमें शामिल होना चाहिए:

क. **विशिष्ट उद्देश्य:** परियोजना के समग्र लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित शोध को व्यक्तिगत अन्वेषणकर्ताओं योगदान के बजाय समग्र उद्देश्य को संबोधित करने के लिए संगठित विशिष्ट उद्देश्यों के साथ एक पूर्ण एकीकृत और सुसंगत वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उद्देश्यों में एक समग्र रणनीति कथन शामिल होना चाहिए।

ख. **दृष्टिकोण में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए**:

i. **वैज्ञानिक महत्व*:*** समस्या का विवरण; अग्रणी, वर्तमान शोध और मौजूदा दृष्टिकोणों की सीमाओं का एक व्यापक अवलोकन; प्रस्ताव किस प्रकार प्रगति में आने वाली बाधाओं को संबोधित करता है; इस शोध से उत्पन्न परिणाम किस प्रकार परिवर्तनकारी होंगे और ज्ञान, नैदानिक अभ्यास या तकनीकी क्षमता को कैसे प्रभावित करेंगे।

ii. रणनीति कथन जिसमें मुख्य लक्ष्य[ओं] को दर्शाया गया हो और किस कारण उल्लिखित कदम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण हैं। यह भी समझाएँ कि कार्यक्रम की प्राथमिकताएँ समस्या को सबसे अच्छे तरीके से कैसे संबोधित करती हैं

iii. **कार्यान्वयन योजना**: विस्तार से बताएं कि प्रस्तावित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। उद्देश्यों में महत्व आधारित विकास को शामिल करें। प्रदत्त वित्तपोषण के अधिकतम प्रभाव के लिए संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा। उपलब्ध संस्थागत संसाधनों का लाभ कैसे उठाया जाएगा। मानव विषयों/पशुओं/पौधों के संसाधनों के उपयोग को उचित ठहराएँ। अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए। प्रस्ताव के समर्थन में प्रारंभिक डाटा (प्रकाशित और/या अप्रकाशित) को मुख्य प्रस्ताव के परिशिष्ट में शामिल किया जा सकता है।

iv. अनुसंधान सामग्री: अनुसंधान योजना के लिए नैदानिक सामग्री/मानव विषयों/पशुओं/पादप संसाधनों के उपयोग की संख्या और औचित्य पर जानकारी।

ग. **टीम का गठन:** टीम के संगठन को उद्देश्यों के अनुसार रेखांकित किया जाना चाहिए। अन्वेषण का ट्रैक रिकॉर्ड और प्रस्ताव के क्षेत्र में प्रदर्शित विशेषज्ञता को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। आवेदनों में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि व्यापक शोध चुनौती को स्वतंत्र व्यक्तिगत शोध अनुदानों द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित क्यों नहीं किया जा सकता है, और किसी सहयोगी प्रयास में संलग्न होने की आवश्यकता को उचित ठहराया जाना चाहिए। गैर-वित्तपोषित सहयोगी[ओं] की भूमिका और अपेक्षाओं को स्पष्ट करें। शोधकर्ताओं के बीच सहक्रियात्मक बातचीत या पिछले सहयोग के साक्ष्य, यदि कोई हो, को उजागर किया जा सकता है। हालाँकि, पिछले सहयोगों से उत्पन्न शोध के दायरे का एक सरल विस्तार इस आमंत्रण द्वारा समर्थित नहीं होगा।

घ. **कार्यकलापों के बीच समन्वय:**

i. टीम प्रबंधन योजना, संचालन और समन्वय (नेतृत्व, अनुसंधान का समन्वय, रिपोर्टिंग आदि); समस्या और समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करके यह स्पष्ट करें कि भागीदार निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग और अनुपूरक बातचीत सुनिश्चित करने के लिए कैसे संलग्न होंगे। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से इंगित करें।

ii. संसाधन आवंटन, भाग लेने वाले सदस्यों के बीच संसाधनों का साझाकरण; डाटा साझा करना, संग्रह करना और व्यापक अनुसंधान समुदाय तक बाद में पहुँच।

iii. जोखिम प्रबंधन योजना। प्रत्याशित जोखिमों और प्रासंगिक प्रबंधन और उनको दूर करने के प्रयासों का वर्णन करें।

iv. समय सीमा सहित लक्ष्य

5. वित्तपोषण: परियोजना के लिए प्रस्तावित बजट, वर्षवार, अन्वेषकवार और संस्थानवार ब्यौरा

6. संस्थागत समर्थन, मौजूदा संसाधन और उपलब्ध सुविधाएँ।

7. परिशिष्ट:

- गैंट चार्ट
- परियोजना के सभी घटकों के लिए प्राप्त/लंबित वैधानिक अनुमोदन की स्थिति।
- प्रस्तावित अनुदान से संबंधित प्रशिक्षण/प्रकाशन/शोध परिणामों पर प्रकाश डालने वाले सभी अन्वेषकों का संक्षिप्त बायोडेटा।
- सहयोगी[ओं] का संक्षिप्त बायोडेटा, यदि कोई हो।
- क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले 5-7 संभावित समीक्षकों की पूरी संपर्क जानकारी।

****